न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुक़दमा राजस्व वाद **69 / 2021**

वादीगण :– 1. श्रीमति विमला देवी पत्नि रमेश कुमार
2. श्रीमति जमनादेवी पत्नि मांगीलाल
3. श्रीमति श्यामा देवी पत्नि भीखाराम जातियान विश्नोई निवासीयान– घडसी का वाडा,सरवडी, तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. हणुताराम उर्फ हडवन्ताराम पुत्र धोकलराम जाति विश्नोई निवासीयान –घडसी का वाडा, सरवाडी, तह0 पचपदरा जिला बाडमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।

<u>राजस्व वाद बाबत अधिकारों की घोषणा, अभिलेख सुधार एवं स्थायी व्यादेश अर्न्तगत</u>
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित :–1. श्री जेठुलाल प्रजपापत वकील वादीनीगण
2. श्री प्रेमसिंह सिसोदिया वकील प्रतिवादीगण

<u>निर्णय</u> दिनांक :– 16.08.2021

वादीगण की और से प्रस्तुत वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का सरहद मौजा घडसी का वाडा पटवार सरवडी, भु.अ. निरीक्षक कल्याणपुर तहसील पचपदरा की राजस्व सीमा में मूल में मुल खसरा 44 रकबा 258 बीघा 05 विस्वा, खसरा 47 रकबा 02 बीघा 14 विस्वा भूमि अवस्थित थी। चूंकि वर्तमान राजस्व अभिलेख में मुल खसरा के अलग अलग अंकित किये है जिसके वर्तमान खसरा सं. 297 / 44 रकबा 64 बीघा 11 विस्वा तथा खसरा सं. 298 / 47 रकबा 14 विस्वा कुल भूमि 65 बीघा 05 विस्वा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी जिसमें से प्रतिवादीस 01 ने अपनी खातेदारी भूमि के हिस्से की भूमि खसरा सं. 297 / 44 में से रास्ते हेतु 02 बीघा 10 विस्वा भूमि राजस्थान सरकार के पक्ष में समर्पण कर दी जिससे खसरा सं. 297 / 44 में रकबा 62 बीघा 01 विस्वा भूमि रही है । वादी संख्या 01 ता 03 के ससुर सुरजाराम व प्रतिवादी सं. 01 सगे भाई है। वादीगण के ससुर सुरजाराम व विप्रार्थी सं. 01 की उपरोक्त भुमि सामलाती संयुक्त पैतृक भूमि है। चुंकि विप्रार्थी सं. 01 ज्येष्ठ पुत्र था जिससे राजसव रेकर्ड में उसका नाम दर्ज हो गया लेकिन भुमि संयुक्त सामलाती थी जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण का संयुक्त कब्जा काश्त थी व वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादी सं. 01 अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहवास है। वादग्रस्त भूमि विप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज होने से प्रतिवादी सं. 01 ने वादीगण के पक्ष अपनी नाम की खातेदारी भूमि मूल खसरा 44 रकबा 258 बीघा 05 विस्वा,खसरा संख्या 47 रकबा 02 बीघा 14 विस्वा भूमि में से अपने हिस्से की 1 / 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.11 18:40:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हिस्से की 1/2 हिस्से की भूमि तीनों वादीनीगण के पक्ष में अलग अलग भूमि बक्शीशनामा रजिस्टर्ड उप पंजीयन कार्यालय कल्याणपुर से दिनांक 20.07.2020 को पंजीबद्व करवाया तथा उसी रजिस्टर्ड बक्शीश नामा के आधार पर प्रार्थीगण के नाम से म्यूटेशन क्रमांक 904 दिनांक 20.08.2020 को खोला जाकर प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में 1/24-1/24 बराबर कुल 1/8 हिस्से की खातेदारी राजस्वा रेकर्ड में वादीगण के नाम दर्ज की गयी थी। जो वर्तमान में अलग खसरा नम्बर बट्टा में पड़ जाने से खसरा सं. 297/44 रकबा 64 बीघा 11 बिस्वा तथा खसरा सं. 298/47 रकबा 14 बिस्वा कुल भूमि 65 बीघा 05 बिस्वा भूमि वादीगण की 1/6-1/6 कुल 1/2 खातेदारी भूमि रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वान्सी भूमि वादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। उक्त वादग्रस्त भूमि में मूल खसरान के खातेदार विप्रार्थी सं. 01 ने अपनी सहमति से बंटवाड़ा कराया। जिसमें उक्त वादग्रस्त भूमि के चार अलग-अलग बट्टे दर्ज कर भूमि के राजस्व रेकर्ड में अलग नामान्तरकरण सं. 926 खोला गया जिसमे खसरा स. 44 रकबा 258 बीघा 05बिस्वा व खसरा सं. 47 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि के अलग बट्टा नम्बर खसरा सं. 298/47 रकबा 14 बिस्वा, खसरा सं. 299/44 रकबा 64 बीघा 11 बिस्वा, खसरा सं. 302/47 रकबा 13 बिस्वा भूमि के चार बराबर बराबर हिस्से राजस्व रेकर्ड अनुसार किये गये थे। उक्त बंटवाड़ा को लेकर वादीगण को एतराज नहीं है क्योंकि वादीगण के हिस्से काश्त वाले हिस्से में ही वादीगण व प्रतिवादी सं. 01 की भूमि का बंटवाड़ा व राजस्व रेकर्ड में नक्शा मे दर्शाया गया है। जिससे हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रेकर्ड में खातेदार होते हुए भी गलत तरीके से हटाये गये अपने नाम की पुनः खातेदारी भूमि को घोषित कराने हेतु व अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

वादी का वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को दिनांक 22.06.2021 को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या -1 की तरफ से वकील उपस्थित दिनांक 5.7.2021 को जबाबदावा पेश कर वादीगण की इस्तदुआ को स्वीकार करने में कोई आपत्ति पेश नही की गयी । दिनांक 13.07.2021 को वादी साक्ष्य ने मुख्य परीक्षण स्वरूप शपथ-पत्र पेश किया गया तथा साक्षी वादीनी में दस्तावेजात प्रदर्श करवाये गये।

हमने वादीनीगण व प्रतिवादीगण वकील की बहस को सुना गया व पत्रावली व वादीनीगण की साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेंजात व प्रतिवादीगण संख्या -1 के जबाब का अवलोकन किया गया। वादीनी संख्या -1 ता 3 का वादीनगण के नाम पूर्व में दर्ज खातेदारी के अनुसार प्रतिवादी हणुताराम उर्फ हड़वन्ताराम के साथ में दर्ज किये जाने चाहिये थे, लिपिकीय त्रुटि से नहीं किये गये, उपरोक्त विवेचन के आ[illegible] करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.11 18:40:28 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विस्तृत वि[illegible] के दावा को स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है मौ[illegible]ाडसी का वाडा पटवार क्षेत्र सरवडी तहसील पचपदरा में वर्तमान में दर्ज खसरा न. 297/44 रकबा 62 बीघा 1 बिस्वा में वादीगण की 32 बीघा 05 बिस्वा 10 बिस्वान्सी तथा खसरा सं. 298/47 रकबा 14 बिस्वा में 07 बिस्वा

Scanned with CamScanner

में कुल रकबा 32 बीघा 12 विस्वा 10 विस्वान्सी वादग्रस्त आराजी में वादिनीगण विमला देवी, मनादेवी, श्यामादेवी के नाम प्रतिवादी हणुताराम उर्फ हड़वन्ताराम के साथ में पूर्व में दर्ज राजस्व रेकर्ड खतौनी की प्रविष्टियों के अनुसार पुनः दर्ज करवा कर अमलदरामद किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो ।

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 16.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.11 18:40:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner